(59)

[illegible] के बाद की धनराशि [illegible] धनराशि का आहरण नहीं [illegible]

[illegible] कार्य में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट [illegible] अथवा अन्य विभागीय बजट [illegible] की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही [illegible] धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

[illegible] से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी [illegible] प्रशासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने [illegible] कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ [illegible] सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का [illegible] एक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी [illegible] यदि टेण्डर करने से कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता [illegible] योजनाओं को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया [illegible]

[illegible] की अवमुक्ति की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर [illegible] प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के [illegible] ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

[illegible] एवं समयबद्धता हेतु स्वयं अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

[illegible] वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के [illegible] 22 प्रशासनिक-5054 सड़कों तथा वस्तुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें- [illegible] -03 ब्रिज रोपवे -02 तथा निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला [illegible]

[illegible] आदेश वित्त अनुभाग-2 के शासकीय संख्या-यू.ओ.-430/XXVII(2)/2006 [illegible] सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

[illegible] -23 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

[illegible]/III-2/06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

[illegible] उत्तरांचल शासन।
[illegible] (लेखा प्रथम) अंबेडकर मोटर्स रिसीवर मंजर देहरादून।
[illegible] मण्डल पौड़ी।
[illegible]/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
[illegible] अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी
[illegible] कोषाधिकारी, देहरादून।
[illegible], राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
[illegible] निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।

[illegible] हुक्म।

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] लिपिकार - II
निर्माण खण्ड, [illegible] वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

[illegible] अभियन्ता
लोक निर्माण [illegible]
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

Photo copy attested

(58)

सं0 1953/III-2/06-29(आ0 आ0) 06
दि 4-9-06

संख्या सा0 [illegible]
उत्तरांचल शासन

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 4 सितम्बर, 2006

विषय- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 23 (तेइस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषय के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 23 [illegible] के रूपये 1744.32 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी [illegible] रूपए 1636.63 लाख (रूपए सोलह करोड़ छत्तीस लाख तिरेसठ हजार मात्र) की धनराशि की लागत [illegible] की सलग्न सम्मुख अंकित कालम विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए [illegible] हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.23 (छः सौ तेइस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभागीय के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों, दर शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार [illegible] अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की [illegible] की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की [illegible] सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि [illegible] जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभागीय की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही [illegible] का आहरण किया जायगा।
5. [illegible] प्राविधिक स्वीकृति कार्य [illegible] से पूर्व विस्तृत आगणन में ऐत कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से [illegible] करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण [illegible] द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टता के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित [illegible]
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा [illegible] निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का [illegible] मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त [illegible] वाली सामग्री का प्रयोग में लाया जाय।
10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा0स0-452/XXVII(1)/2005 [illegible] 15 अप्रैल-2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] लिपिकार - II
निर्माण खण्ड, [illegible] वि०

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

Photo copy attested

निर्माण खण्ड, [illegible] वि०

		4	4	5	6
	140	40.00	15.19		0.01
	70 मी0	180.50	148.40		0.01
	200	30.20	30.20		0.01
	0.5000	17.70	14.80		0.01
	24 मी0	73.70	70.70		0.01
		63.50	105.50		-0.01
			59.20		-0.01
	45 मी0	14.00	111.20		-0.01
	निर्माण	21 मी0	18.25	17.20	-0.01
	5	2.00	30.20	30.20	-0.01
		1.25	18.80	18.80	-0.01
		3.00	45.30	45.30	-0.01
		1.25	18.80	18.80	-0.01
		30 मी0	26.07	25.08	-0.01
		10.00	219.70	219.70	-0.01
		72 मी0	309.55	296.07	-0.01
		8.00	168.00	168.00	0.01
			1.38	1.35	0.01
			60.25	59.75	0.01

सत्य प्रतिलिपि

महायुक्त अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

Photo copy attested

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

महायुक्त अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट

20.	उत्तरकाशी मे पुरानी टेक्सी स्टेण्ड से जानकी चट्टी निरीक्षण भवन तक पदल मार्ग का सुधार	0.800	8.80	8.47	.01
21.	उत्तरकाशी मे राजगढी रसील मे मोटर मार्ग के किमी0 13 मे मोटर पुल का निर्माण	50.90	50.90	48.70	.01
22.	उत्तरकाशी मे मापडा कसनाल मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई मे निर्माण	5.00	16.59	16.59	.01
23.	उत्तरकाशी मे हुकाना–कुरडा–धाडा खण्ड 60वा0 मार्ग को मोटर मार्ग मे परिवर्तन व डामरीकरण		116.40	116.40	.01
	कुल योग		1744.32	1636.63	1.23

(रूपये तेइस हजार मात्र)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता - II
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)